कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। सरकार ने हाल ही में विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की रियायत की दरों में वृद्धि की है जो निम्नवत् हैः—

(रु० प्रति टन)

	5.7.96 तक	6.7.96 तक
स्वदेशी डाई-अमोनियम फास्फेट	1000	3000
आयातित डाई-अमोनियम फॉस्फेट	—	1500
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	1000	1500
सिंगल सुपर फॉस्फेट	340	500
स्वदेशी मिश्रण	435—999	1304—2633

(ख) सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत उर्वरकों पर सब्सिडी के लिये 6148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 1996-97 में विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देने के लिये 2224 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है और सारे भारतवर्ष में 3320/- रुपये प्रति टन के एक समान मूल्य पर बेचा जा रहा है विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिये, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से उत्पादकों/सप्लायरों के साथ बातचीत करने के बाद किसानों के लिये सबसे उपयुक्त मूल्य तय करने का अनुरोध किया है।

(ड) जी, हां पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति मीटरी टन के बीच वृद्धि हुई है यूरिया पर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है इसलिये इसका बिक्री मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के बिक्री मूल्यों के बारे में राज्यों को विनिर्माताओं के साथ बातचीत करनी होगी तथा तदनुसार कृषक समुदाय के हित को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित करने होंगे।

पशुपालन विभाग में अनियमितताएं

1942. **श्री रामजीलाल:** क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें उनके विभाग में, विशेष रूप से प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पशुपालन हेतु राज्यों को दी जा रही सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) तथा (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग में किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं बरती जा रही हैं। विभाग अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में व्यवहार्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) पशुपालन के लिये राज्यों को प्रदान की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न योजनाओं के तहत जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	268.67	275.34	139.39	627.82	1311.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	14.79	141.41	502.96	85.62	744.78
3.	असम	47.26	158.63	478.67	24.97	709.53
4.	बिहार	65.50	93.32	152.92	238.61	550.35
5.	गोवा	10.37	14.44	12.26	15.47	52.54
6.	गुजरात	100.34	591.75	475.70	594.00	1761.79
7.	हरियाणा	102.78	391.07	48.08	358.44	900.37
8.	हिमाचल प्रदेश	125.94	103.95	142.26	102.02	474.17
9.	जम्मू और कश्मीर	45.36	92.76	358.14	300.65	796.91
10.	कर्नाटक	124.09	168.38	257.43	243.10	793.00
11.	केरल	108.13	191.26	375.08	471.00	1145.47
12.	मध्य प्रदेश	145.98	417.23	597.48	531.91	1692.60
13.	महाराष्ट्र	166.69	102.30	312.95	358.38	940.32
14.	मणिपुर	29.47	68.60	125.80	102.69	326.56
15.	मेघालय	27.54	31.09	99.15	115.48	273.26
16.	मिजोरम	42.09	143.30	201.29	252.14	638.82
17.	नागालैंड	21.00	115.68	202.08	11.63	350.39
18.	उड़ीसा	58.20	256.52	459.94	714.82	1489.48
19.	पंजाब	59.04	95.90	251.67	184.40	591.01
20.	राजस्थान	64.76	87.39	109.44	73.66	335.25
21.	सिक्किम	58.82	197.74	232.90	16.75	506.21
22.	तमिलनाडु	109.17	302.50	388.27	236.30	1036.24
23.	त्रिपुरा	9.74	105.84	256.12	136.23	507.93
24.	उत्तर प्रदेश	174.94	604.76	663.88	893.11	2336.69
25.	पश्चिम बंगाल	105.58	183.50	547.25	620.95	1457.28
	कुलः राज्य	2086.25	4934.66	7391.11	7310.15	21722.17
	संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	13.02	8.65	9.52	104.40	135.59
2.	चंडीगढ़	2.87	8.41	7.40	7.55	26.23
3.	दादर व नगर हवेली	2.66	2.40	2.05	1.53	8.64
4.	दमन व दीव	0.50	1.00	0.90	—	2.40
5.	दिल्ली	20.68	64.24	142.49	51.77	279.18
6.	लक्षद्वीप	11.65	5.47	3.60	23.05	43.77
7.	पांडिचेरी	15.64	17.13	19.95	22.64	75.36
	कुलः संघ शासित प्रदेश	67.02	107.30	185.91	210.94	571.17
	कुल योगः	2153.27	5041.96	7577.02	7521.09	22293.34